न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

पत्रावली संख्या : 69/24(प्रा0पत्र)

GCMS No. : 2024/242

अनवान्

1. श्रीमती सुन्दरबाई पुत्री चुन्नीलाल पत्नी मगनलाल ब्राहम्ण निवासी रूदी ओरडी बी तहसील मावली।

.....प्रार्थीयां

बनाम

1. श्री ईश्वरलीाल पिता भंवरलाल ब्राहम्ण निवासी 3/1 निहापुरा राजवाडा जिला इन्दौर (मध्यप्रदेश)
2. श्री रमेशचन्द्र पिता भंवरलाल ब्राहम्ण निवासी 3/1 निहापुरा राजवाडा जिला इन्दौर (मध्यप्रदेश)
3. श्रीमती कुसुम पुत्री भंवरलाल पत्नी हुकचन्द ब्राहम्ण निवासी 150 विज्ञान नगर अन्नपूर्णा रोड, इन्दौर जिला इन्दौर (मध्यप्रदेश)
4. श्रीमती सीता पुत्री भंवरलाल पत्नी देवकिशन ब्राहम्ण निवासी 86 बी वैशालीनगर अन्नपूर्णा रोड इन्दौर (मध्यप्रदेश)
5. श्रीमती कमला पत्नी बाबुलाल उर्फ पन्नालाल ब्राहम्ण निवासी जावड तहसील घासा।
6. छोटीबाई उर्फ भागवत्नी पुत्री भेरूलाल ब्राहम्ण निवासी जावड तहसील घासा।
7. श्री देवीलाल पिता भेरूलाल ब्राहम्ण निवासी जावड तहसील घासा।
8. श्री मुकेश पिता बाबुलाल उर्फ पन्नालाल ब्राहम्ण निवासी जावड तहसील घासा।
9. लीला पुत्री भेरूलाल ब्राहम्ण निवासी जावड तहसील घासा।
10. विद्या पुत्री बाबुलाल उर्फ पन्नालाल ब्राहम्ण निवासी जावड तहसील घासा।
11. श्री विनोद पिता बाबुलाल उर्फ पन्नालाल ब्राहम्ण निवासी जावड तहसील घासा।
12. पटवारी, पटवार हल्का जावड तहसील घासा।
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार घासा तहसील घासा।
14. उप पंजीयक अधिकारी घासा तहसील घासा।

.....विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री रोशनलाल डांगी, अधिवक्ता प्रार्थीयां।
2. श्री हार्दिक चेचानी, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1, 2
3. श्री कैलाश चन्द्र डांगी, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 3, 4

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—: : निर्णय : :—

दिनांक : 04.05.2026

1. प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा जावड पटवार हल्का जावड तहसील घासा के आराजी नम्बर 5447/1633 रकबा 1.2950 हेक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में विपक्षी संख्या 1 से 4 प्रत्येक के नाम क्रमशः 1/60 + 1/15 हिस्सेनुसार संयुक्त रूप से अंकित है एवं शेष हिस्सा विपक्षी संख्या 5 से 11 के नाम पर जमाबन्दी में अंकित अनुसार दर्ज हैं।
2. यह कि प्रार्थीयां एवं विपक्षी संख्या 1 से 4 के परिवार का सजरा खानदान निम्न प्रकार हैः—

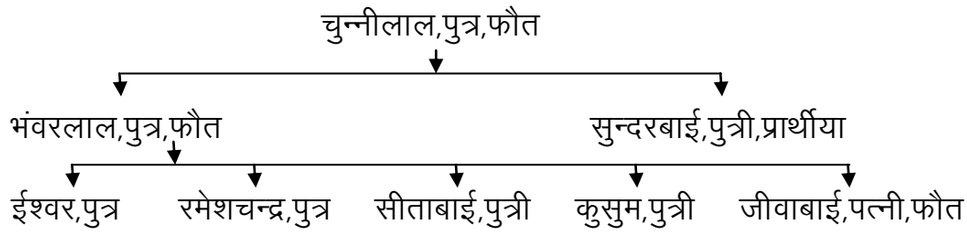

उक्त सजरे अनुसार चुन्नीलाल की मृत्यु हो चुकी हैं। चुन्नीलाल के एक पुत्र भंवरलाल एवं एक पुत्री सुन्दरबाई (प्रार्थीयां) हुए। भंवरलाल का निधन हो चुका है जिसके पुत्र ईश्वर, रमेशचन्द्र एवं पुत्रीयां सीताबाई, कुसुम हैं। भंवरलाल की पत्नी जीवाबाई का निधन हो चुका हैं।

3. यह कि उक्त आराजीयात पूर्व के रेवेन्यु रेकार्ड में हमारे मौरूस अर्थात् मुझ प्रार्थीयां के पिता चुन्नीलाल पिता जयकिशन ब्राहम्ण के नाम पर अंकित थी। चूंकि चुन्नीलाल जी के पुत्र भंवरलाल का निधन चुन्नीलाल जी के जीवनकाल में ही हो गया था इस वजह से मेरे पिता चुन्नीलाल जी के देहावसान के पश्चात् विरासत से भंवरलाल के वारिसान विपक्षी संख्या 1 से 4 ने अपने नाम पर अंकित कराई जो मुझ प्रार्थीया की पैतृक सम्पति है जिसमें मुझ प्रार्थीयां को जन्म से हक अधिकार प्राप्त है तथा उक्त कृषि भूमि में मैं प्रार्थीया अपने हिस्सेनुसार कृषि भूमि पर काबिज हो उपयोग उपभोग कर रही हूं। उक्त आराजीयात में विपक्षी संख्या 1 से 4 के नाम अंकित कुलिया कृषि आराजी जो पूर्व में मेरे पिता चुन्नीलाल जी के नाम पर दर्ज थी जिनके देहावसान के पश्चात् मेरे पिता के नाम दर्ज कुलिया कृषि भूमि में मेरे भाई भंवरलाल के वारिसानों अर्थात् विपक्षी संख्या 1 से 4

एवं जीवाबाई ने राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत कर मुझ प्रार्थीयां (पुत्री) का नाम दर्ज नहीं करा मेरे पिता स्वर्गीय चुन्नीलाल जी के नाम दर्ज सम्पूर्ण कृषि भूमि को अपने नाम ही अंकन करवा दी और जीवाबाई की मृत्यु होने से उसके नाम अंकित भूमि को भी विपक्षी संख्या 1 से 4 ने अपने नाम पर अंकित करवा दिया जबकि इन्हे ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नहीं था क्योंकि स्वर्गीय चुन्नीलाल जी की एक जायन्दा पुत्री मैं प्रार्थीया हूं और मैं प्रार्थीयां अपने हिस्से की कृषि भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करती आ रही हूं। वर्तमान में उक्त वर्णित पैतृक कृषि भूमि में मेरे हिस्से की भमि मेरे नाम पर अंकित न होकर विपक्षी संख्या 1 से 4 के नाम पर अंकित होने से ये लोग आपस में साठ गाठ एवं मिलीभगत कर उक्त कृषि भूमियों को हस्तान्तरित कर खुर्द बुर्द करने एवं मेरे उपयोग उपभोग में दखलन्दाजी कर व्यवधान उत्पन्न करने पर उतारू हो रहे है जबकि इनको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं हैं। मेरे पिता चुन्नीलाल जी के नाम अंकित अन्य भूमियां मेरे नाम पर विरासत से दर्ज हुई है जो आज भी मेरी खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। इसलिए मैं प्रार्थीयां प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में अपने हक हिस्से की घोषणा करा राजस्व रेकार्ड में अपने नाम दर्ज कराने की अधिकारीणी हूं। इसलिए मुझ प्रार्थीयां की ओर से वाद पत्र आप न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया हैं।

4. यह कि मुझ प्रार्थीयां का प्राइमाफैसी केस है क्योंकि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि मेरी पैतृक कृषि भूमि है जिसमें हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् मुझ प्रार्थीयां को जन्म से ही अधिकार प्राप्त हुए हैं। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से विपक्षीगण को कोई क्षति या नुकसान होने वाला नहीं है बल्कि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से मुझ प्रार्थीयां को भारी क्षति होगी जिसका मूल्यांकन रूपयों पैसो में किया जाना असंभव होगा। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दू भी मेरे पक्ष में हैं। मुझ प्रार्थीया को विपक्षीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 19.06.2024 को उत्पन्न हुआ जब विपक्षी संख्या 1 से 4 ने मुझ प्रार्थीया को मेरे हक हिस्से की भूमि से जबरन बेदखल करने एवं कुलिया जमीन को खुर्द बुर्द करने की धमकी दी, तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं। अन्त में निवेदन किया कि मुझ प्रार्थीयां के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि विपक्षी संख्या 1 से 4 प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में प्रार्थीया को अपने हिस्से कब्जे की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, प्रार्थीयां को बेदखल नहीं करे, कब्जा नहीं करे, रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करें, किस्म परिवर्तन नहीं करावे, किसी प्रकार की दखलन्दाजी न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि से ही करावें, राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथावत् स्थिति बनाये रखें। विपक्षी संख्या 12 से 14 को पाबंद किया जावे कि विपक्षी

संख्या 1 से 4 उक्त विवादित भूमि के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज पंजीयन/नामान्तरकरण हेतु प्रस्तुत करें तो उसके पंजीयन एवं नामान्तरकरण की कार्यवाही नहीं करे, रेकार्ड की यथावत् स्थिति बनाये रखें।

5. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 5 से 11 के विरूद्व कोई कार्यवाही नहीं चाहने से इनके विरूद्व कार्यवाही पूर्व में ड्रोप की जा चुकी हैं। विपक्षी संख्या 1, 2 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि वाद वर्णित भूमियां प्रार्थीयां के पिता चुन्नीलाल पिता जयकिशन की नहीं होकर चुन्नीलाल पिता हीरालाल ब्राहम्ण के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी जो चुन्नीलाल जी की स्वअर्जित भूमियां थी अर्थात् सेटलमेन्ट से पूर्व उक्त भूमियां बिलानाम थी। सेटलमेन्ट के खसरा संख्या 1633 के पुराने नम्बर 2027, 2028, 2029 थे जो बाद में जयकिशन पिता धुला जी व चुन्नीलाल वल्द हीरालाल जी को आवंटित हुई थी आंवटन काफी पुराना होने से नकल प्राप्त नहीं हो सकी भू प्रबन्ध सेटलमेन्ट व खसरा महकमा बन्दोबस्त मेवाड जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि वादपत्र के साथ व फोटो प्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न हैं। प्रार्थीया ने चुन्नीलाल पिता जयकिशन जी का नाम राजस्व रिकार्ड में होना गलत वर्णित किया गया क्योंकि हिरालाल जी कोई सन्तान नहीं होने से चुन्नीलाल जी हीरालाल जी के गोद चले गये जिससे उक्त भूमियां जयकिशन पिता धुला व चुन्नीलाल वल्द हिरालाल के नाम से भूमियां राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो गई। स्वर्गीय धुला जी का वंश वृक्ष अथवा सजरा खानदान निम्न प्रकार से है :–

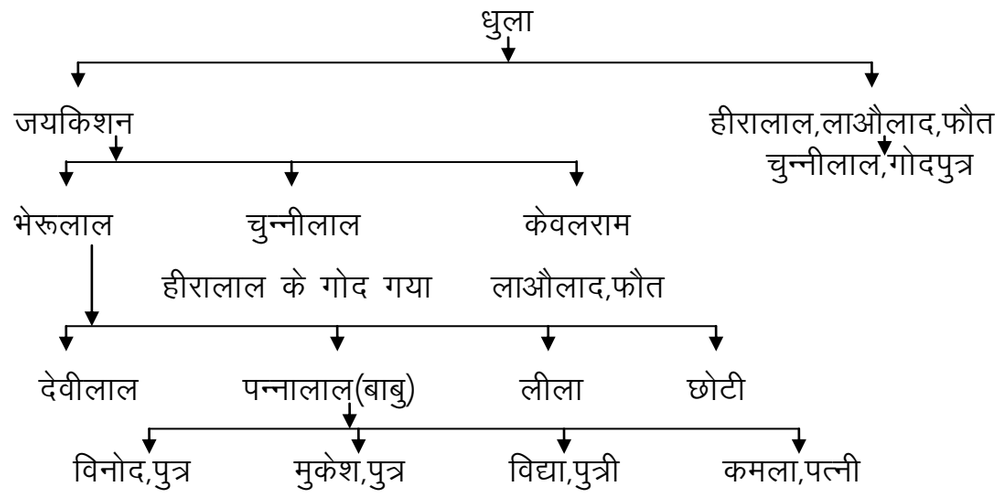

चुन्नीलाल का सजरा प्रार्थना पत्र अनुसार सही होना स्वीकार हैं।

6. यह कि स्व. चुन्नीलाल दुरदर्शिता रखने वाले व्यक्ति थे जिन्होने दिनांक 19.09.1981 को अपनी 78 वर्ष की आयु में स्व. चुन्नीलाल जी ने विपक्षी संख्या 1 व 2 के पक्ष में एक इच्छा पत्र (वसीयतनामा) लिखा ताकि भविष्य में उनकी सम्पति को लेकर उनके कुटुम्ब

परिवार के सदस्य या रिश्तेदार आदि में कोई मन मुटाव, मतभेद, लडाई झगडे, कोई वाद विवाद उत्पन्न नहीं होने पाये और यदि होवे तो उनका निराकरण इस चुन्नीलाल द्वारा निष्पादित इच्छापत्र में किये गये निर्देशानुसार किया जावें। चुन्नीलाल जी ने अपनी इच्छा पत्र के पृष्ट संख्या 1 पर लिखा है कि मेरी पुत्री का विवाह मैने कर दिया है उक्त विवाह के समय मेरे को जो कुछ देना था वह मेरी उक्त पुत्री को मै दे चुका हुं। साथ ही पृष्ठ संख्या 4 में स्पष्ट वर्णित किया कि मेरी पुत्री श्रीमती सुन्दरबाई को उसके जीवन पर्यन्त रूपये 500/– वार्षिक मेरा पुत्र भंवरलाल व्यास अभिभाषक देवेंगे जिसमें मेरी उक्त पुत्री को समय–समय पर मेरे घर से मिलने वाले कपडे आदि की रकम शामिल रहेगी मेरी अन्य चल एवं अचल सम्पति में उसका कोई हक नहीं होगा। वादीयां ने उक्त कृषि भूमियों पर काबिज होना गलत वर्णित किया गया हैं। वादीयां वर्तमान में करीब 90 वर्ष की वृद्ध महिला है जिन्होने अपने जीवनकाल में कभी भी अपनी पैतृक कृषि भूमियों में हिस्से की मांग नहीं की गई क्योंकि वादीयां यह अच्छी तरह से जानती थी कि मेरे पिता चुन्नीलाल जी ने मुझे जो कुछ देना था वह दे दिया परन्तु अब चूंकि भूमियों की कीमते काफी बढ़ जाने से वादीयां के पुत्र पुत्रीयों के मन में भारी लालच आ जाने से उक्त वादपत्र वादीयां से पेश करवाया गया जो खारिज होने योग्य हैं।

7. यह कि प्रार्थीया को उक्त भूमियों के सम्बन्ध में शुरू से ही जानकारी थी कि उसके पिता चुन्नीलाल जी ने अपनी सम्पतियों को वसीयत (इच्छा पत्र) के माध्यम से व्यवस्था कर दी गई उसके उपरान्त भी प्रार्थीया ने मिथ्या वाद पेश किया गया जिससे प्रार्थीयों के प्रार्थना पत्र का कोई हेतुक उत्पन्न नहीं होता हैं। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त फरमाया जावे विशेष हर्जा खर्चा विपक्षीगण को प्रार्थीया से दिलाया जावें।

8. **विपक्षी संख्या 3, 4 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि** प्रार्थना पत्र में वर्णित सजरा खानदान सही होकर स्वीकार है। सजरे में वर्णित पक्षकारान एक ही परिवार के लोग है और चुन्नीलाल जी की प्रार्थीयां जायन्दा पुत्री हैं। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात पूर्व के रेवेन्यु रेकार्ड में हमारे मौरूस अर्थात् प्रार्थीयां के पिता चुन्नीलाल पिता जयकिशन ब्राहम्ण के नाम पर अंकित थी और चुन्नीलाल जी के पुत्र अर्थात् हमारे पिता भंवरलाल का निधन चुन्नीलाल जी के जीवनकाल में ही हो गया था इस वजह से चुन्नीलाल जी के देहावसान के पश्चात् विरासत से भंवरलाल जी के वारिसान विपक्षी संख्या 1, 2 एवं हम विपक्षी संख्या 3, 4 के नाम अंकित हुई है और इसमें प्रार्थीयां का नाम अंकित होना रह गया है जबकि यह सम्पति निर्विवाद रूप से प्रार्थीयां की पैतृक सम्पति है और इसमें प्रार्थीयां के जन्म से हक अधिकार निहित है और प्रार्थीयां अपने हिस्सेनुसार कृषि भूमि पर

निर्बाध रूप से काबिज हो उपयोग उपभोग कर रही हैं। प्रार्थीयां के हक हिस्से पर हमारा अथवा हमारे पिता का कोई हक अधिकार कभी भी नहीं रहा हैं।

9. यह कि हम विपक्षीगण द्वारा न तो प्रार्थीयां के उपयोग में किसी प्रकार दखलन्दाजी की गई है, न ही भूमि को खुर्द बुर्द करने पर आमादा हैं। प्रार्थीयां स्व. चुन्नीलाल जी की जायन्दा पुत्री है जिसका कानूनन इस जायदाद में हक अधिकार निहित है और प्रार्थीयां अपने हक हिस्से पर काबिज होकर उपयोग उपभोग भी करती आ रही है लेकिन उक्त भूमि विरासत से प्रार्थीयां के नाम पर होने से रह गई है और विरासत से उक्त भूमि भंवरलाल जी के वारिसानों के नाम पर अंकित हो गई हैं। हमारे द्वारा प्रार्थीयां के कब्जे अधिकार में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है फिर भी माननीय न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं हैं। प्रार्थीयां का प्रथम दृष्टया मामला होकर सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दू प्रार्थीयां के पक्ष में हैं। हमारे द्वारा प्रार्थीया को न तो बेदखल करने की धमकी दी है, न ही भूमि को खुर्द करने की धमकी दी गई हैं। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णितानुसार प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे इसमें हम विपक्षीगण को कोई एतराज नहीं हैं। प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

10. **प्रार्थीया द्वारा विपक्षी संख्या 1 व 2 के जवाब का जवाबुल जवाब पेश कर निवेदन किया** कि प्रार्थीया स्वर्गीय चुन्नीलाल जी की जायन्दा पुत्री है और प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी प्रार्थीयां के स्वर्गीय पिता चुन्नीलाल जी के नाम पर दर्ज थी जिससे प्रार्थीयां का वाद वर्णित आराजी में कानूनन हक एवं अधिकार निहित है तथा प्रार्थीयां के पिता चुन्नीलाल के नाम दर्ज रही अन्य आराजीयात भी विरासत से प्रार्थीया के नाम पर पुत्री होने से अंकित हुई है जो तथ्य रिकार्डेड हैं। विपक्षीगण द्वारा सजरा अंकित किया है जबकि प्रार्थीयां द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में सही सजरा दर्शाया हैं। चुन्नीलाल जी, हीरालाल जी के गोद अवश्य गये थे लेकिन वादगत आराजी के पूर्व रिकार्ड में चुन्नीलाल के पिता का नाम जयकिशन ही दर्ज था अर्थात् उक्त आराजी चुन्नीलाल पिता जयकिशन के नाम ही दर्ज थी। विपक्षीगण द्वारा जिस वसीयतनामा का वर्णिन किया गया है वह फर्जी एवं बनावटी है और विपक्षीगण द्वारा इससे पूर्व कभी भी कथित वसीयत के बारे में कोई बात प्रार्थीयां को नहीं बताई गई थी, न ही वादगत भूमि कथित वसीयत से इनके नाम पर रद्दोबदल हुई थी जिससे स्पष्ट है कि विपक्षीगण येनकेन प्रकारेण प्रार्थीयां को उसकी पैतृक सम्पति से महरूम करना चाहते है इसी नियत से विपक्षीगण द्वारा वसीयत की कुटरचना की गई हैं। वादग्रस्त आराजी विरासत के नामान्तरकरण संख्या 540 के जरिए विपक्षी संख्या 1, 2 ने अपने नाम पर रद्दोबदल कराई है जबकि उक्त आराजी में मेरा

भी हिस्सा है और विरासत के नामान्तरकरण में मेरा नाम भी दर्ज होना चाहिए था लेकिन विपक्षी संख्या 1, 2 ने जानबुझकर मेरा नाम इसमें दर्ज नहीं कराया। मैं प्रार्थीयां किसी लालच के वशीभूत नहीं हूं बल्कि मुझ प्रार्थीयां ने अपने जायज एवं वैध अधिकारों के तहत् उक्त कृषि भूमि में अपना नाम अंकित होने से रह जाने के कारण यह मुकदमा किया है जिसका मुझ प्रार्थीयां को पूरा अधिकार प्राप्त है और मैं प्रार्थीया निर्बाध रूप से अपने हक हिस्से की भूमियों पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करती चली आ रही हूं जिसकी जानकारी हम आम व खास को हैं। अन्त में निवेदन किया कि मुझ प्रार्थीयां ने सही एवं ठोस आधारों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है इसलिए प्रार्थना पत्र में वर्णित दाद मैं प्रार्थीयां प्राप्त करने की अधिकारीणी हूं। अतः मुझ प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र विधिवत् होकर स्वीकार फरमाया जावें और प्रार्थना पत्र में वर्णितानुसार विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जाकर विपक्षीगण को पाबंद फरमाया जावें।

11. प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गईं। अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1, 2 द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 3, 4 द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीयां के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने पर सहमति व्यक्त की।

12. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है जो इस प्रकार हैः—

1. ***<u>प्रथम दृष्टया मामला—</u>*** प्रकरण के अवलोकन से प्रार्थीया द्वारा बताये गये सजरे अनुसार मूल पुरूष चुन्नीलाल जी थे जिनके पुत्र भंवरलाल व पुत्री सुन्दरबाई प्रार्थीया हुई। भंवरलाल का निधन चुन्नीलाल जी के जीवनकाल में ही होना बताया। भंवरलाल के वारिस विपक्षी संख्या 1 से 4 होना बताया। मौजा जावड पटवार हल्का जावड तहसील घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077—80 की खाता संख्या 150 के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 से 4 एवं अन्य सहखातेदारान के नाम संयुक्त रूप से हिस्सेनुसार दर्ज रेकार्ड हैं। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो से स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भूमि पूर्व में प्रार्थीयां एवं विपक्षी संख्या 1 से 4 के मौरूस चुन्नीलाल के नाम पर दर्ज थी जो चुन्नीलाल के फौत होने पर विरासत के नामान्तरकरण संख्या 540

से चुन्नीलाल के बजाय ईश्वरलाल, रमेशचन्द्र, सीताबाई, कुसुमबाई पिता भंवरलाल, जीवीबाई पत्नी भंवरलाल के नाम दर्ज हुई।

इस सम्बन्ध में न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीया द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज नकल जमाबन्दी के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि पूर्व में प्रार्थीयां एवं विपक्षी संख्या 1 से 4 के मौरूस चुन्नीलाल के नाम हिस्सेनुसार दर्ज होना जाहिर आया हैं। प्रार्थीया द्वारा अपने पिता चुन्नीलाल के नाम दर्ज हिस्सा भूमि में से अपने हिस्से की घोषणा चाही गई हैं। विपक्षी संख्या 1, 2 द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में सजरा खानदान प्रस्तुत किया गया है परन्तु उक्त सजरा खानदान के अवलोकन से चुन्नीलाल के वारिसों का वर्णन नहीं किया गया हैं। विपक्षी संख्या 3, 4 द्वारा भी अपने जवाब प्रार्थना पत्र में प्रार्थीयां को मृतक खातेदार चुन्नीलाल की पुत्री माना हैं। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज मौजा जावड की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 की खाता संख्या 10, 11 के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि उक्त भूमि में प्रार्थीयां का नाम विरासत से दर्ज हुआ हैं। रहा प्रश्न वसीयतनामें का तो उक्त वसीयत प्रार्थीया के हक अधिकारों पर प्रभाव डालती है या नहीं ? इस तथ्य को इस प्रार्थना पत्र में तय नहीं किया जा सकता हैं। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर प्रथम दृष्टया वादग्रस्त भूमि प्रार्थीया की मौरूसी होना प्रतीत होती हैं। वर्तमान में वादग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 1 से 4 के नाम भूमि दर्ज होने से यदि विपक्षी संख्या 1 से 4 अपने नाम दर्ज हिस्सा भूमि का विक्रय, हस्तान्तरण कर दिया जाता है तो ऐसे में प्रार्थीया को अपनी मौरूसी भूमि में अपने हक अधिकारों से वंचित होना पड सकता हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीयां का पैतृक सम्पति में घोषणा का वाद होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीयां के पक्ष में साबित होता हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

2. ***सुविधा का संतुलन–*** प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 से 4 व अन्य सहखातेदार के नाम संयुक्त रूप से हिस्सेनुसार दर्ज हैं। प्रार्थीयां द्वारा पैतृक सम्पति में हिस्से की घोषणा चाही गई है। प्रार्थीयां की पैतृक भूमि में घोषणा का वाद होने से यदि विपक्षी संख्या 1 से 4 को पाबंद नहीं किया जाता है एवं विपक्षी संख्या 1 से 4 उक्त भूमि को अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरित, विक्रय या खुर्द बुर्द कर देते है तो इससे प्रार्थीया को काफी असुविधा का सामना करना पडेगा व प्रार्थीया के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा तथा प्रकरण में अनावश्यक पैचिदगीया उत्पन्न होगी। अतः सुविधा संतुलन का बिन्दु प्रार्थीया के पक्ष में साबित होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार सुविधा संतुलन का बिन्दु प्रार्थीया के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं।

3. ***अपूरणीय क्षति का बिन्दू***—प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 से 4 व अन्य सहखातेदार के नाम संयुक्त रूप से हिस्सेनुसार दर्ज हैं। प्रकरण में मूल बिन्दू प्रार्थीया के पैतृक भूमि में हिस्से की घोषणा सम्बन्धी हैं। यदि पैतृक भूमि होने का तथ्य साबित होता है तो प्रार्थीयां वादग्रस्त भूमि को अपने नाम दर्ज कराने की अधिकारी है इसलिए यदि विपक्षी संख्या 1 से 4 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जाता है एवं विपक्षी संख्या 1 से 4 अपने नाम दर्ज हिस्सा भूमि को खुर्द बुर्द, रहन, बैह, बक्षीस, विक्रय आदि द्वारा हस्तान्तरित कर देते है तो इससे प्रार्थीया के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। प्रार्थीयां को अपूरणीय क्षति होगी तथा प्रार्थीया को अपने हिस्से से वंचित होना पडेगा परन्तु पैतृक भूमि के तथ्य को इस प्रार्थना पत्र में तय नहीं किया जा सकता हैं। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन का बिन्दु प्रार्थीया के पक्ष में निर्णित किये जाने से उक्त बिन्दु भी प्रार्थीया के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं।

शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि के आधार पर तय किये जायेगे। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन का बिन्दु व अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीयां के पक्ष में निर्णित किये गये हैं। प्रकरण में दिनांक 06.08.2024 से विपक्षी संख्या 1 से 4 के विरूद्व अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी है जिसे मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा जावड पटवार हल्का जावड तहसील घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077—80 की खाता संख्या 150 पर दर्ज आराजी नम्बर 5447/1633 रकबा 1.2950 हेक्टेयर भूमि में मूल वाद के निस्तारण तक विपक्षी संख्या 1 से 4 अपने नाम दर्ज हिस्सा भूमि की राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। उक्त स्थगन आदेश अन्य सहखातेदार पर प्रभावी नहीं होगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय सरे ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली